भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 729
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर देने के लिए

संचारी रोगों के नए प्रकार

729. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व भर में उभर रहे संचारी रोगों के नए उभरते प्रकारों के संबंध में कोई अनुसंधान/अध्ययन/पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऐसे संचारी रोगों के संभावित प्रकोप को रोकने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में संभावित वैश्विक महामारी जैसी स्थितियों को रोकने के लिए कोविड-19 जैसे अत्यधिक संक्रामक संचारी रोगों से देश को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अत्यधिक संक्रामक रोगों के संबंध में निगरानी इकाई स्थापित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक संक्रामक संचारी रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई गतिविधि/अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत निकाय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि पिछले कुछ दशकों में, जूनोटिक मूल की विभिन्न जानपदिक और सर्वव्यापी महामारियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थितियों (पीएचईआईसी) में परिवर्तित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और बांग्लादेश में निपाह वायरस का प्रकोप (वर्ष 2001), हांगकांग में सार्स (2002-03), H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा (वर्ष

2005); 2009 में H1N1, 2012 में एमईआरएस, 2014 में जीका और 2019 में सार्स-सीओवी-2 जिसके बाद यह कोविड-19 की वैश्विक महामारी का कारण बना, यह सब बिमारियां शामिल हैं। ये महामारियाँ एक अमानवीय स्रोत से उत्पन्न हुईं और जब पशु और मानव एक दूसरे के संपर्क में आये तो ये महामारियां मनुष्यों में फैल गईं। यह वन हेल्थ की परिकल्पना के महत्व को उजागर करती हैं ताकि मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक साथ जुड़ सके।

प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने विभिन्न एजेंसियों में महामारियों से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों और चल रही गतिविधियों की समीक्षा की है और महामारियों से निपटने की तैयारियों में संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता को पहचाना है और बहूविषयक क्षेत्रों के बीच अंतर को दूर करने और समन्वय को बढ़ाने के लिए "राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (एनओएचएम)" की स्थापना का सुझाव दिया। एनओएचएम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तेरह मंत्रालय/विभाग एक साथ आए हैं, जिसका संचालन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रमुख हितधारकों के साथ किया जाता है।

एनओएचएम के प्रमुख स्तंभ निम्न हैं:

i. सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की द्वारा सक्षम एकीकृत निगरानी।
ii. जैव सुरक्षा स्तर 3 (बीएसएल-3) की प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क (अतिजोखिम या अज्ञात रोगजनकों के परीक्षण के लिए)।
iii. मानव-पशु-वन्यजीव-पशुधन स्वास्थ्य के लिए टीके, निदान और उपचार सहित चिकित्सा प्रति उपायों के लिए सहयोगात्मक और एकीकृत अनुसंधान एवं विकास।
iv. विभिन्न क्षेत्रों के सूचनाओं का एकीकरण।
v. वन हेल्थ से संबंधित सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

निम्नलिखित कार्य शुरू कर दिए गए हैं:

i. विभिन्न क्षेत्रों की परिचालित प्रयोगशालाओं के साथ बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया गया है।
ii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानव, पशुधन और वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम को अधिसूचित किया है।

iii. जानपदिक रोग विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।.

iv. केरल में निपाह प्रकोप के लिए एक बहु-क्षेत्रीय उत्तरदायित्व निभाया गया, जहां राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने निगरानी सहायता प्रदान की थी, आईसीएमआर ने प्रयोगशाला निदान के लिए मोबाइल BSL3 सुविधा प्रदान की और पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने सूअरों की निगरानी की और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने चमगादड़ों की निगरानी की।

(ख): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2004 से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को 33 से अधिक प्रकोप प्रवण संचारी रोगों की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए अधिदेशित किया गया है। आईडीएसपी सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। राज्यों ने इन रोगों की जांच और निगरानी के लिए आईडीएसपी के तहत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (डीपीएचएल) और राज्य रेफरल प्रयोगशाला (एसआरएल) जैसी प्रयोगशालाओं को नामित किया है। आईडीएसपी घटना-आधारित निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों की मीडिया स्कैनिंग और सत्यापन भी करता है। यह संभावित प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए राज्य में प्राधिकारियों की स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों में सहायता करता है।

सरकार ने 386.86 करोड़ रुपये के 'राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के लिए एकीकृत रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी की दिशा में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम' का अनुमोदन किया है। योजना के घटकों में सभी क्षेत्रों में एकीकृत रोग निगरानी के लिए रूपरेखा, फास्ट-ट्रैकिंग चिकित्सा प्रति उपायों के लिए लक्षित अनुसंधान एवं विकास, डेटा एकीकरण, क्षमता निर्माण और महामारी की तैयारी के लिए वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।

(ग): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों को प्रकोप की जांच, प्रयोगशाला निदान, उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर सलाह देने में तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यकतानुसार मानव और भौतिक संसाधनों के संदर्भ में रसद सहायता प्रदान करता है। राज्यों को रोग निगरानी गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता करने के लिए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को मजबूत किया है, जो महामारी प्रवण रोगों के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य नियंत्रण और रोकथाम के उपायों को स्थापित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षित बहु-विषयक त्वरित प्रतिक्रिया दल (आरआरटी) के माध्यम से निगरानी और प्रतिक्रिया की विकेन्द्रीकृत प्रणाली की अनुमति देता है।

एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के उपयोग से आईडीएसपी को और अधिक मजबूत किया गया है, जो वास्तविक समय डाटा रिपोर्टिंग और उन्नत डाटा विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग को सक्षम बनाता है, जो सभी स्तरों पर सुलभ है और सभी राज्यों में लागू है।

प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) ने रोगजनकों को समय रहते पूर्व प्रयोगशाला-आधारित निदान के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 150 से अधिक वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला नेटवर्क की स्थापना के साथ जिलों में प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करने में राज्यों को सहायता दी जाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के संबंध में देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, किसी भी नई और उभरती हुई बीमारियों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है। इस पहल के तहत कुछ प्रमुख गतिविधियाँ भविष्य की महामारियों के संबंध में तैयारी करने की दिशा में निर्देशित हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों की स्थापना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को मजबूत करना, क्षेत्रीय एनसीडीसी की स्थापना, जैव सुरक्षा स्तर-3 (बीएसएल-3) की प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना, प्रवेश के बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों की स्थापना करना , जैव-सुरक्षा तैयारी, वन हेल्थ के लिए महामारी अनुसंधान को मजबूत करना आदि शामिल हैं।

इस योजना के तहत, योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 64180 करोड़ रुपये रखा गया है।

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत वर्षवार वित्तीय आवंटन और पिछले पांच वर्षों के दौरान आईडीएसपी, एनसीडीसी को आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ): SARS-CoV-2 वायरस के नए उत्परिवर्ती वेरिएंट का समय से पता लगाने के लिए, देश में भारतीय SARS-CoV-2 जीनोम अनुक्रमण (INSACOG) नेटवर्क द्वारा SARS-CoV-2 का संपूर्ण जीनोमिक अनुक्रमण किया जाता है।

(ङ): पीएम-एबीएचआईएम योजना और 'राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के लिए एकीकृत रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी की दिशा में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम' के तहत, हितधारकों के प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित सामुदायिक भागीदारी और जोखिम संचार और क्षमता निर्माण का प्रावधान है।

*****

अनुलग्नक

पीएम-एबीएचआईएम के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए वर्षवार वित्तीय आवंटन और उपयोग

			23.07.2024 तक (राशि करोड़ में**)**
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	अनुमान	व्यय
1	2021-22	₹ 140.00	₹ 116.00
2	2022-23	₹ 378.27	₹ 125.84
3	2023-24	₹ 262.86	₹ 254.43
4	2024-25	₹ 212.21	₹ 53.05

पीएम-एबीएचआईएम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए वर्षवार वित्तीय आवंटन और उपयोग

(**राशि करोड़ में**)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम/संस्थान	बीई **2021-22**	आरई **2021-22**	वास्तविक **31/03/22**	बीई **2022-23**	आरई **2022-23**	वास्तविक **31/03/23**	बीई **2023-24**	आरई **2023-24**	वास्तविक **31/03/24** (प्रांतीय)	बीई अंतरिम **2024-25**	बीई नियमित **2024-25**
	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं											
1.	पीएम-एबीएच आईएम (स्वास्थ्य)		315.00	177.07	978.87	281.68	314.10	645.86	200.21	169.55	468.00	556.57
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ/परियोजनाएँ											
2.	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएच आईएम) (एनएचएम)		585.00	584.04	4176.84	1885.45	1228.35	4200.00	2100.00	1805.77	4107.68	3200.00
	कुल-पीएम-एबीएचआईएम (स्वास्थ्य)		900.00	761.11	5155.71	2167.13	1542.45	4845.86	2300.21	1975.32	4575.68	3756.57

पिछले पांच वर्षों के दौरान आईडीएसपी, एनसीडीसी को आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (केंद्रीय निगरानी इकाई), एनसीडीसी (राशि हजारों में)			
क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आकलन बजट**	**उपयोग किया गया बजट**
1	2020-21	₹ 55,450.00	₹ 35,625.00
2	2021-22	₹ 63,200.00	₹ 32,368.00
3	2022-23	₹ 1,07,634.00	₹ 32,400.00
4	2023-24	₹ 45,454.00	₹ 25,657.00
5	2024-25	₹ 55,500.00	जून, 2024 तक ₹ 6709.59

*****